संयुक्त राजस्थान राज पत्र ता० १ जनवरी सन् १९५१ ई०

कृषि एवं ग्राम सुधार विभाग
नोटिफिकेशन
ता०१६-१२-५४ ई०

नम्बर २७३७

जरिये इश्तिहार हाजा हर खास व आम की आगाही के लिये शाया किया जाता है कि दफा १४ मेवाड़ फोरेस्ट एक्ट नम्बर २ सन् १९४२ के मुताबिक हस्ब जैल रकबा आराजी इस इश्तिहार के जारी होने की तारीख से रखाया हुआ जंगल (रिजर्व फोरेस्ट) शुमार किया गया है .

ब्लोक बांका आलसा
रेंज माण्डलगढ डिस्ट्रिक्ट भीलवाडा .

उत्तर:- ब्लोक जलीन्दरी , इलाका बून्दी
पूर्व इलाका बून्दी
दक्षिण:- ओपन फोरेस्ट मौजा [illegible] बांका कलां, बांका खुर्द, माफतपुरा जागीर व ब्लोक माफतपुरा
पश्चिम:- ब्लोक धनवाड़ा आलसा व मवासी पट्टे बीनोलियां .

इस ब्लोक का कुल रकबा २२४०७।।)। है मदे ३१३८) मक्बूजा काश्त है इसमें इसमें हस्ब जैल हक हकूक उन कवायद के जेर तहत जो गवर्नमेन्ट वक्तन फ वक्तन नाफिज करे जारी रहेंगें .

१) वासिन्दगान बांका खुर्द बांका कलां ,लोढदा, व गवाड़ा
(क) अपनी नीजी मवेशी अलावा भेड बकरी व ऊंट के फ्री चरा सकेंगें .
(ख) अपने नीजी स्तेमाल के लिये जलाऊ सूखी लकडी व घास सिर बोझ से फ्री ला सकेंगें
(ग) की मवेशी मरने पर चमड़ा मालिक मवेशी लेजा सकेगा .

१) इस ब्लोक में आराजी नं० ७ रकबा १८९६) व नं० ८ रकबा १२४२) जुमला ३१३८) मौजा लोढदा का मक्बूजा काश्त है जो काश्त होकर इसकी आमद तहसील माण्डलगढ की माली आमद में ब दस्तूर जमा होती रहेगी .

२) निम्नलिखित रास्तों पर आम जनता व आर वरदारी ब दस्तूर गुजरती रहेगी .
(क) बांका से जलीन्दरी जानेवाला
(ख) बांका से लोढदा होकर बूथी जानेवाला .
(ग) बांका से भोपतपुरा व बिजोलियां जानेवाला .
(घ) बांका से धनवाड़ा जानेवाला .

एस० डि०
कृषि एवं ग्राम सुधार सचिव

शुद्ध प्रतिलिपि,
[illegible] 17/4/13
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक(कोर) [illegible]
टाईगर रिजर्व, [illegible]

प्रपत्र I ओ ।

संख्या एफ०७(९४८)राज०/वन०/६२ विज्ञप्ति

दिनांक २४-१-१९६२

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूचित में समाविष्ट वन भूमि तथा डूंगर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम १९५३ । १९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३ । की धारा २९ की उपधारा ।३। के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा १ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुसार, पूर्वोक्त वन भूमि और डूंगर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
S.d.
शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला १	तहसील २	वनखण्ड ३	मौजा ४	क्षेत्रफल एकड़ों में ५	विशेष विवरण ६		
					खसरा नम्बर	बीघा	बिस्वा
बून्दी	नैनवां	मराफतेहपुरा E	गुढासड़ा	६५४६.६४			
			वर्तमान मरा	३८०.६८			
			कलालधूनी	३५०.६८			
			कालानला	२८५.२०			
			बिबधारी	६५.४०			
			खाड़ेड़ा	८८१.४६			
			मुन्डली	१६१.९२			
			रामगढ	१९९६.४०			
			फतेहपुरा	.०२			
			योग	२५२१.९२			

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक(कोर ...) ...धिकारी टाईगर रिज़र्व, बून्दी

Scanned with CamScanner